सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1927 (श०)
पटना, बुधवार, 18 जनवरी, 2006

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना तथा कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

अधिसूचना

18 जनवरी, 2006

जी0 एस0 आर0 253, दिनांक 18 जनवरी, 2006 – बिहार पंचायत राज अध्यादेश,2006 (बिहार अध्यादेश 01, 2006) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, निम्नलिखित बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 बनाते हैं।

अध्याय-1

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ -** (1) यह नियमावली बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 कही जायेगी। (2.) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ -** जब तक सन्दर्भ अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें-

(क) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अध्यादेश,2006;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा ;

(ग) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है अध्यादेश के अध्यधीन ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के पदधारकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन;

(घ) "उप-निर्वाचन" से अभिप्रेत है आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिये किया जाने वाला निर्वाचन ;

(ङ) "आयोग " से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा 123 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग ;

(च) "जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) '' (इसके आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन का संचालन करने के लिये आयोग द्वारा पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी ;

(छ) "जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)'' (इसके आगे जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट वैसे पदाधिकारी ;

(ज) "निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)'' (इसके आगे निर्वाची पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त वैसे पदाधिकारी;

(झ) "सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)''(इसके आगे सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त वैसे पदाधिकारी;

(ञ) "जिला पंचायत राज पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी;

(ट) "पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत)''(इसके आगे पीठासीन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त वैसे पदाधिकारी;

(ठ) "निर्वाचक'' या " मतदाता'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद के लिये होने वाले निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता सूची में दर्ज हो;

(ड) "मतदाता सूची" से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा 126 के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली,

(ढ) "मतदाता सूची की चिह्नित प्रति '' से अभिप्रेत है मतदाता सूची की वह प्रति जो किसी निर्वाचन में मतपत्र दिये जाने पर मतदाता के नामों को चिह्नित करने के प्रयोजन के लिये अलग रखी जाती हो;

(ण) "प्रतिपर्ण'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन मुद्रित मतपत्र के साथ संलग्न प्रतिपर्ण;

(त) "निर्वाचन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र जिसमें उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं ;

(थ) "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र '' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र;

(द) "मतदान केन्द्र '' से अभिप्रेत है पंचायत के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदान के लिये नियत स्थान;

(ध) "मतपेटी'' से अभिप्रेत है कोई पेटी, थैला या अन्य पात्र जो निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता द्वारा मत डालने के काम में लाया जाता हो;

(न) "परिसर'' से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग और जिसमें झोंपड़ी या अन्य संरचना या उसका कोई भाग शामिल है ;

(प) "यान (गाड़ी)'' से अभिप्रेत है निर्वाचन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने योग्य यान (गाड़ी) चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा या अन्यथा चलाया जाता है ;

(फ) "भ्रष्ट आचरण'' से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा 141 में वर्णित आचरण ;

(ब) "अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची;

(भ) "प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र; परन्तु आयोग द्वारा परिस्थिति विशेष तथा व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए किसी भी प्रपत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

उन शब्दों तथा पदों का, जिनका इस नियमावली में व्यवहार किया गया है, किन्तु जो इसमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जो अध्यादेश में उनके लिए दिया गया है।

अध्याय-2
निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एवं संख्यांकन

3. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के लिये विचारार्थ लिए जाने वाले विषय–(1) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा ग्राम कचहरी में निर्वाचन कराने के निमित्त उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी द्वारा क्रमशः अध्यादेश की धारा 12, धारा 37, धारा 64 एवं धारा 90 के अधीन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों मे विभक्त किया जायेगा।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सटे हुए इलाके रहेंगे तथा इसे इस प्रकार गठित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी यथासाध्य सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक ही हो, और प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की चौहद्दी प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं के जरिये एक दूसरे से साफ-साफ अलग की रहेगी ;
परन्तु यह कि –

(क) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पांच सौ (500) अथवा यथाशक्य उसके निकटतम होगी ;

(ख) पंचायत समिति के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पांच हजार (5,000) अथवा यथाशक्य उसके निकटतम होगी।

(ग) जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार(50,000) अथवा यथाशक्य उसके निकटतम होगी,

परन्तु यह और कि यदि उपर्युक्त वर्णित मापदंड के अनुसार या अन्य आपवादिक परिस्थिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में कठिनाई हो,तो जिला दंडाधिकारी ऐसे मामलों में आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त कर निर्णय लेगा।

4. **ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन**– ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हों।

5. **पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन**– पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि–

(i) पंचायत समिति के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत हों;

(ii) पंचायत समिति का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्दिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत हो, तथा

(iii) पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं हो।

6. **जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन**– जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि–

(i) जिला परिषद् के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जिला परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत हों;

(ii) जिला परिषद का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत हो तथा

(iii) जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं हो।

7. **निर्वाचन क्षेत्रों के संख्यांकन की प्रक्रिया**– निर्वाचन क्षेत्रों को निम्न रूप से संख्यांकित किया जायगा, यथा –

(1) पंचायत समिति के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर पंचायत समिति के दक्षिण-पूर्व तक प्रत्येक ग्राम पंचायत को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् ग्राम पंचायत को आवंटित संख्या और ग्राम पंचायत का नाम अंकित किया जायेगा, यथा, पटना/ 1-मगरपाल ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र।

(2) ग्राम पंचायत के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर ग्राम पंचायत के दक्षिण-पूर्व तक उस ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् ग्राम पंचायत को आवंटित संख्या और नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक और तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित संख्या अंकित की जायेगी, यथा- पटना/ 1-मगरपाल ग्राम पंचायत/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1

(3) जिला के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर जिला के दक्षिण-पूर्व तक प्रत्येक पंचायत समिति को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् पंचायत समिति को आवंटित संख्या और पंचायत समिति का नाम अंकित किया जायेगा, यथा-पटना/ 1- मनेर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र।

(4) पंचायत समिति के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर पंचायत समिति के दक्षिण पूर्व तक उस पंचायत समिति के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् पंचायत समिति की संख्या और नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक और तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित संख्या अंकित की जायेगी, यथा -पटना/ 1-मनेर पंचायत समिति /प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1

(5) जिला परिषद् के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर जिला परिषद के दक्षिण-पूर्व तक उस जिला परिषद् के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला परिषद का नाम, तत्पश्चात स्ट्रोक और तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित संख्या अंकित की जायेगी, यथा–पटना जिला परिषद्/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1

8. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन–(1) जिला दंडाधिकारी द्वारा इस नियम के अध्यधीन बनाए गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-1 में, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद् के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रकाशित सूची में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति, सूची प्रकाशित किये जाने की तिथि से **चौदह** दिनों के अन्दर जिला दंडाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित दी जा सकेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन आपत्ति प्राप्त होने पर जिला दंडाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवश्यक जांचोपरांत अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा जो अंतिम होगा।

(4) विनिश्चित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सूची प्रपत्र-1 में तैयार कर जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में तथा जिला गजट में प्रकाशित करायेगा जिसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग तथा निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा।

अध्याय-3
निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण/आवंटन

9. **निर्वाचन क्षेत्रों के लिये आरक्षित स्थानों को अवधारित किया जाना** –(1) ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच के निर्वाचन हेतु क्रमशः अध्यादेश की धारा 13, 15, 38, 40, 65, 91 एवं 93 के अध्यधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों एवं इन वर्गों की महिलाओं के लिये जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित एवं आवंटित किये जायेंगे।

(2) जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अध्यादेश की धारा 67 के अध्यधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों एवं इन वर्गों की महिलाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित एवं आवंटित किये जायेंगे।

(3)उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण एवं आवंटन के पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल सीटों के यथाशक्य बीस प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान, किन्तु सभी कोटियों के लिए कुल मिलाकर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा के अधीन, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों तथा इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे एवं इनका आवंटन उन शेष निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जिला परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अध्यादेश की धारा 67 के अधीन पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं इस वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समरूप आधार पर (शेष निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में) भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित एवं आवंटित किए जायेंगे।

परन्तु यह कि निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या रहने पर संबंधित कोटि के लिए वह निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जायेगा जो संख्यांकन क्रम में पहले आता हो।

10. **आरक्षण के लिए पदों की संख्या की गणना करने की रीति**– आरक्षण हेतु पंचायत के पदों की संख्या की गणना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित रीति से की जायेगी।

11.(1) **पंचायतो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कोटि के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन**–विभिन्न कोटियों को अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में यथासंभव वही निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे जिनमें जिला दंडाधिकारी द्वारा अवरोही क्रम में उस कोटि की निकाली गई जनसंख्या अन्य कोटियों की जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक पाई जाए, **परन्तु पिछड़ा वर्ग कोटि को अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में नियम (9) के उप-नियम (3) में विहित शेष निर्वाचन क्षेत्रों से यथासंभव वे निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे जो उनकी (शेष निर्वाचन क्षेत्रों की) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आते हों।**

परन्तु यह कि प्रथम निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृति की जायेगी;

परन्तु यह कि द्वितीय निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृति की जायेगी ;

परन्तु यह और भी कि तृतीय निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जायेगी ;

बाद के चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जायेगी।

(2) **ग्राम कचहरी में निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन** - उपनियम (1) में उल्लिखित चक्रानुक्रम आवंटन की प्रणाली मात्र ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के लिए लागू होगी। ग्राम कचहरी के मामले में प्रथम चुनाव इस अध्यादेश के अधीन कराये गये प्रथम चुनाव से माना जायेगा। ग्राम कचहरी के प्रथम निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के क्रम में; द्वितीय निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में तथा तृतीय निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जायेगी।

(3) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि के लिए अगले निर्वाचन में आरक्षित नहीं होगा।

परन्तु यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी कोटि विशेष में महिला के लिए आरक्षित था तो अगले निर्वाचन में उस कोटि से भिन्न कोटि में महिला के लिए आरक्षित किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि यदि अन्य (अनारक्षित) कोटि में कोई निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित था तो अगले निर्वाचन में वह अन्य (अनारक्षित) कोटि में महिला के लिए आरक्षित नहीं हो सकेगा।

परन्तु यदि अन्य विकल्प नहीं हो तब पूर्ववर्ती निर्वाचन में किसी कोटि विशेष के लिये आवंटित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि के लिये पश्चात्वर्ती निर्वाचन में पुनः आवंटित किया जा सकेगा।

12. **महिलाओं के लिये पचास प्रतिशत पद का आरक्षण** – आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि के सभी पदों में उस कोटि की महिलाओं के लिये यथाशक्य पचास प्रतिशत के निकटतम, किन्तु इससे अनधिक, स्थान आरक्षित होंगे तथा उक्त पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए गणना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित रीति से की जायेगी।

13. **प्रथम चुनाव में महिला हेतु आरक्षण**– यदि कोटि विशेष के लिये एक ही पद उपलब्ध हो तो प्रथम चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र उस कोटि विशेष की महिला के लिये आरक्षित होगा। यदि अगले चुनाव में भी कोटि विशेष के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो, तो वह निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं होगा।

14. **महिलाओं के लिये निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन**–प्रत्येक कोटि के लिये आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों में, जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को उस कोटि की महिलाओं को अनुमान्य संख्या में सर्वप्रथम आवंटित किया जायेगा।

15. **निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण संबंधी पंजियों का संधारण**–निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने के संबंध में जनसंख्या से संबंधित पंजियाँ निर्वाचन क्षेत्रवार /प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार प्रपत्र-2 में निम्नलिखित स्तरों पर आयोग द्वारा तैयार करायी जायेंगी , यथा–

(क) ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच – प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार	प्रखंड स्तर पर जिला दंडाधिकारी के माध्यम से।
(ख) पंचायत समिति के सदस्य-प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार	
(ग) मुखिया/सरपंच – निर्वाचन क्षेत्रवार	
(घ) जिला परिषद के सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार	जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी के माध्यम से।
(ङ) पंचायत समिति के प्रमुख-निर्वाचन क्षेत्रवार	
(च) जिला परिषद् के अध्यक्ष-निर्वाचन क्षेत्रवार	राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा

परन्तु यह कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर तैयार की गयी पंजियों की एक-एक प्रति जिला दंडाधिकारी द्वारा आयोग को भेजी जायेगी तथा एक-एक प्रति प्रखंड एवं जिला कार्यालयों में सुरक्षित रखी जायेगी।

16. **जिला दंडाधिकारी द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन**– जिला दंडाधिकारी द्वारा आरक्षित/अनारक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में ग्राम पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी तथा एक-एक प्रति प्रखंड एवं जिला कार्यालयों में सुरक्षित रखी जायेगी।

17. **आयोग द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन**–आयोग स्तर पर आरक्षित/अनारक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में आयोग कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।

18. **आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का राजपत्र में प्रकाशन**– नियम 16 एवं 17 के अधीन प्रकाशित की गयी आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, यथास्थिति, जिला गजट/बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

अध्याय-4
मतदाता सूची

19. **मतदाता सूची की तैयारी**– अध्यादेश एवं इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी।

20. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पदाधिकारी/कर्मचारी की सहायता लेना** – जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची की तैयारी हेतु जिलान्तर्गत पदस्थापित तथा अन्य स्थानों से उपलब्ध कराये गये ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो राज्य सरकार के कार्यालयों , राज्य के लोक उपक्रमों तथा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में पदस्थापित हों।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालयों या केन्द्रीय लोक उपक्रमों या केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले संस्थानों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता भी वैसे कार्यालयों / उपक्रमों / संस्थानों के सक्षम पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर ले सकेगा।

21. **मतदाता सूची का प्ररूप**–(1) अध्यादेश की धारा 126 के अध्यधीन ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची प्रपत्र 4 में तैयार की जायेगी। इस तरह बनी मतदाता सूचियों के योग से ही, जैसा संदर्भ हो, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची बनेगी।

22. **मतदाता सूची का प्रकाशन-**राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं निर्वाचन क्षेत्र एवं क्षेत्रों की तैयार की गयी मतदाता सूची को निम्नलिखित स्थानों पर चौदह दिनों तक प्रकाशित किया जायेगा, यथा–

ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में।

ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र- सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में।

पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र- सम्बन्धित प्रखंड कार्यालय में।

जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र- सम्बन्धित प्रखंड कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में।

23. **मतदाता सूची में संशोधन**-नियम 21 के अधीन बनाई गई और नियम 22 के अधीन प्रकाशित की गई मतदाता सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में, नियम 22 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लिखित आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, किसी त्रुटि का निवारण कर सकेगा और तदनुरूप मतदाता सूची संशोधित की जा सकेगी।

24. **मतदाता सूची की प्राप्ति**–आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति जिला दण्डाधिकारी अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकेगा।

25. **मतदाता सूची का संरक्षण** – जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रति अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जायेगी।

अध्याय - 5
मतदान केन्द्र

26. **मतदान केन्द्र का चयन** – जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से मतदान केन्द्र का चयन करेगा।

27. **मतदान केन्द्र की सूची का प्रकाशन** – जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 8 के उप-नियम (1) में विहित रीति से मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित करेगा;

परन्तु यह कि मतदान केन्द्रों की सूची के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व सूची पर आयोग का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाएगा ;

परन्तु यह भी कि राज्य निर्वाचन आयोग युक्तियुक्त कारणों से आवश्यक समझे जाने पर, अंतिम प्रकाशन के बाद भी, मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का आदेश दे सकेगा। किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिना आयोग की अनुमति के या आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में , परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

अध्याय - 6

निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र

28. **कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध कराया जाना** – राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, आयोग को पंचायतों का निर्वाचन कराने के निमित्त आवश्यक संख्या में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

29. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट किया जाना** – पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग प्रत्येक जिला के लिए जिला पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी हो अथवा उसके समकक्ष स्तर का कोई उप-समाहर्त्ता होगा;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

30. **निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति** – राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/उप-समाहर्त्ता से अन्यून स्तर का हो।

31. **सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति** – राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को उसके कृत्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।

32. **पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति** – जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी निकाय या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी उपर्युक्त के अधीन ऐसे व्यक्ति को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है, या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी सूचना देगा;

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अध्यादेश तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी के सभी या किन्ही भी कृत्यों का पालन करेगा।

33. **अपरिहार्य कारण से पीठासीन पदाधिकारी के कृत्यों का पालन किया जाना** – यदि पीठासीन पदाधिकारी रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

34. **पीठासीन पदाधिकारी का कर्त्तव्य** – किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाये रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

35. **मतदान पदाधिकारी का कर्त्तव्य** – मतदान केन्द्र में मतदान पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को उनके कृत्यों के पालन में सहायता करे।

अध्याय - 7
निर्वाचन का संचालन

36. **निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों का नियत किया जाना** – आयोग द्वारा विहित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र-5 में सूचना द्वारा –

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से सातवाँ दिन होगा, अथवा यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो,

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख के बाद तीन दिनों से अधिक नहीं होगा।

परन्तु संवीक्षा की तिथि एक या एक से अधिक लगातार तिथियों को निर्धारित की जा सकेगी तथा यदि संवीक्षा की अन्तिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो संवीक्षा की अन्तिम तिथि आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो।

(ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जो नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख के बाद अधिकतम दो दिनों तक होगा, या यदि वापसी का अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

(घ) वह तारीख और समय जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा, विनिर्दिष्ट करेगा; और

(ङ) मतगणना के लिए तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करेगा।

37. **नियम 36 के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति** – नियम 36 के अधीन सूचना का प्रकाशन मतदान के लिए नियत तारीख से कम-से-कम बीस (20) दिन पूर्व किया जायेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में भी प्रकाशित की जायेगी।

38. **अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाना** – (1) किसी स्थान की पूर्त्ति हेतु कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेगा यदि वह अध्यादेश के उपबंधों के अधीन उस स्थान पर निर्वाचित किये जाने के लिए अर्हित है एवं अध्यादेश की धारा 136 के अधीन अयोग्य नहीं है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र-6 में होगा।

39. **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाना** – (1) नियम 36 के खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी **द्वारा स्वयं** नियम 36 के अधीन दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तथा स्थान पर निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी को सम्यक रूप से प्रपत्र-6 में भरा गया, और अभ्यर्थी एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षरित, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है,

प्रस्तावक के रूप में किसी नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा।

(क) कोई व्यक्ति, जिसका नाम संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है और जो अध्यादेश की धारा 136 की उप-धारा (1) के अध्यधीन अनर्हित नहीं है, नाम निर्देशन का प्रस्तावक हो सकेगा।

(ख) किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा।

(ग) कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष का अभ्यर्थी है उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा।

(घ) किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अभ्यर्थी के प्रस्तावक स्वयं उस निर्वाचन क्षेत्र विशेष के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकेंगे।

(ङ) किसी प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

(च) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा यदि उसके साथ निम्नांकित कागजात संलग्न नहीं हो :-

(i) विहित प्रपत्र में मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक के नाम दर्ज होने की घोषणा;

(ii) विहित प्रपत्र में सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित रहने संबंधी घोषणा;

(iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधी लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के सदस्य होने का जाति प्रमाण-पत्र, मूल में, जो जिला दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो;

(iv) सरकारी कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क चालान या नाजीर रसीद;

(v) आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में अभ्यर्थी के बारे में आवश्यक सूचनाएँ।

(छ) कोई नाम निर्देशन पत्र नाम निर्देशन के लिए प्रपत्र-5 की अनुसूची के स्तम्भ 8 में निर्धारित अंतिम तिथि को विहित समय के अन्दर नहीं देने पर उसे प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा विहित समय के बाद भूलवश प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ज) नाम निर्देशन प्राप्त होने पर निर्वाची पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक का नाम नामनिर्देशन पत्र में अंकित नाम एवं मतदाता सूची का क्रमांक तथा मतदाता सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक एक समान है; परन्तु निर्वाची पदाधिकारी

(i) नाम निर्देशन पत्र में नाम अथवा क्रमांक संबंधी लिपिकीय भूल को शुद्ध कर मतदाता सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक के सदृश करने की अनुमति दे सकेगा;

(ii) जहाँ आवश्यक हो, उपर्युक्त प्रविष्टियों से संबंधित मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मुद्रण भूल को नजरअंदाज करने का निदेश दे सकेगा।

(झ) उप नियम (1) के अधीन नाम निर्देशन प्राप्ति उपरान्त निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक/ को विहित प्रपत्र में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना देगा तथा नाम निर्देशन पत्र पर उसका क्रमांक अंकित करेगा एवं नाम

निर्देशन पत्र प्राप्ति की तिथि एवं समय अंकित करते हुए तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी अंकित करेगा तथा प्रत्येक दिन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के निर्धारित समय के पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना पट पर अभ्यर्थी एवं , प्रस्तावक से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करेगा।

(2) कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिए दो से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा।

(3) नाम निर्देशन पत्रों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नाम निर्देशन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को भेज दी जायेगी तथा इसकी प्रति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।

40. **नाम निर्देशन शुल्क** – (1) किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के लिये सम्यक रूपेण नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया नहीं समझा जायेगा यदि उसने –

(क) ग्राम पंचायत /ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य/ पंच के मामले में **दो सौ पचास रूपये** की और जहाँ अभ्यर्थी महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /**पिछड़ा वर्ग** का सदस्य हो, वहाँ **एक सौ पच्चीस रूपये** की;

(ख) ग्राम पंचायत के मुखिया/ग्राम कचहरी के सरपंच /पंचायत समिति के सदस्य के मामले में **एक हजार रूपये** की और जहाँ अभ्यर्थी महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /**पिछड़ा वर्ग** का सदस्य हो, वहाँ **पाँच सौ रूपये** की;

(ग) जिला परिषद् के सदस्य के मामले में **दो हजार रूपये** और जहाँ अभ्यर्थी महिला/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / **पिछड़ा वर्ग** का सदस्य हो, वहाँ **एक हजार रूपये** की;

धनराशि नाम निर्देशन शुल्क के रूप में निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा न कर दी हो;

परन्तु यह कि यदि अभ्यर्थी किसी एक पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है तो एक से अधिक नाम निर्देशन शुल्क जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) नाम निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

41. **नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा** – (1) अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तिथि, समय तथा स्थान पर उपस्थित हो सकेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और निम्नलिखित कारणों से उन्हें अस्वीकृत कर सकेगा :-

(क) अभ्यर्थी अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन किसी स्थान पर निर्वाचित किये जाने के लिए निरर्हित है;

(ख) प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निरर्हित है;

(ग) नियम 38, 39 या 40 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है;

(घ) नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी और प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं है या हस्ताक्षर उनका नहीं है;

(ङ) अभ्यर्थी द्वारा ऐसे स्थान के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है जो महिला/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ **पिछड़ा वर्ग** के लिए आरक्षित है तथा वह उस कोटि का अभ्यर्थी नहीं है;

(च) **नाम निर्देशन पत्र के साथ नियम - 39 के उप नियम (1) के खण्ड (च) में उल्लिखित कागजात नहीं दाखिल किये गयें हों।**

(3) कोई नाम निर्देशन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जो सारभूत न हो।

(4) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने संबंधी अपना विनिश्चय अंकित करेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो संक्षेप में उसका कारण अंकित करेगा।

(5) इस नियमावली के प्रयोजन के लिए सुसंगत निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में की गई किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि का पेश करना उस प्रविष्टि में नामित किसी मतदाता के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के संबंध में निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि अभ्यर्थी निरर्हित है।

(6) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के बाद निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों, जिनके नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत कर लिए गए हैं, की सूची प्रपत्र-7 में तैयार करेगा तथा उसे अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा।

42. **अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना** – नियम 36 के खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख तथा समय तक निर्वाची पदाधिकारी को प्रपत्र 8 में सूचना देकर अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।

43. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना** – (1) निर्वाची पदाधिकारी ऐसी कालावधि, जिसके भीतर नियम 36 के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती हो, के समाप्त होने के ठीक बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र-9 में तैयार कर अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा।

(2) उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्णक्रमानुसार नाम पता सहित अन्तर्विष्ट होगा परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्रथम नाम एक ही हो तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्यानुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्टक में क्रमशः (1), (2), (3) आदि अंकित किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित रीति से दी जायेगी।

44. **निर्वाचन प्रतीक** – जहाँ मतदान आवश्यक हो वहाँ निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीकों में से एक प्रतीक **आयोग द्वारा विहित रीति से आवंटित करेगा तथा उसकी सूचना आयोग द्वारा विहित रीति से देते हुए आवंटित निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति संबंधित अभ्यर्थी को देगा।**

अध्याय - 8
अभ्यर्थी तथा उसका अभिकर्त्ता

45. **निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु** – (1) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त करना चाहे तो उप-नियम (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन प्रपत्र-10 में मतदान के पूर्व किसी भी समय वह ऐसी नियुक्ति कर सकेगा।

(2) निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति का अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय अपनी हस्ताक्षरित लिखित घोषणा की प्रस्तुति कर प्रतिसंहरण किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रतिसंहरण अथवा निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में अभ्यर्थी नया निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति को जो पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने या निर्वाचित होने के लिए अध्यादेश के अधीन तत्समय निरर्हित हो, निर्वाचन अभिकर्त्ता के रूप में तबतक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि निरर्हता बनी रहती है।

46. **मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति** – (1) ऐसे किसी निर्वाचन के समय, जिसमें मतदान किया जाना हो, निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम दो अभिकर्त्ताओं को नियुक्त कर सकेगा तथा ऐसी नियुक्ति प्रपत्र 11 में, दो प्रतियों में, की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्त्ता को देगा जो उसे मतदान के लिए नियत तारीख को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन पदाधिकारी प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा।

(3) मतदान के समय एक समय में किसी अभ्यर्थी का एक ही अभिकर्त्ता मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह सकेगा।

47. **मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु** – (1) मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी।।

(2) ऐसी घोषणा पीठासीन पदाधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) जहाँ किसी मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरित की गई हो या जहाँ मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाय वहाँ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय नियम 46 के उप-नियम (1) के अधीन नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा।

48. **गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति** – (1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता, अभ्यर्थी का एक गणन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र 12 में की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति-पत्र (प्रपत्र 12) की दो प्रतियाँ गणन अभिकर्त्ता को देगा जिनमें एक वह अपने पास रखेगा तथा मतगणना के लिए नियत की गई तारीख को दूसरी प्रति निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा तथा वह पदाधिकारी उस दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा।

49. **गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या गणन अभिकर्ता की मृत्यु** – (1) गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी तथा ऐसी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी को, जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत की जायेगी।

(2) मतगणना पूरी होने के पूर्व यदि अभ्यर्थी के गणन अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाय तब अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियम 48 के उप-नियम (1) के अधीन नए गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकेगा।

50. **मतदान का प्रत्यादिष्ट होना** – यदि नियम 43 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के **नियत समय के** प्रारम्भ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है तब उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान हो जाने पर, निर्वाची पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और इस तथ्य की सूचना आयोग को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से देगा। आयोग से निदेश प्राप्त होने पर निर्वाचन की प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।

51. **निर्विरोध निर्वाचन** – (1) यदि किसी स्थान के लिए अभ्यर्थिता वापस किये जाने के लिये नियत तारीख तथा समय के पश्चात केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तब निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को उस स्थान के लिए, प्रपत्र 13 में सम्यक-रूपेण निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देगा।

(2) यदि किसी स्थान को भरने के लिए नाम निर्देशन-पत्र नहीं भरा गया है या किसी भी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र को सम्यक्-रूपेण स्वीकृत नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी इस तथ्य की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजेगा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार उस स्थान के लिए निर्वाचन कराने के निमित्त आगे की कार्रवाई करेगा।

52. सविरोध निर्वाचन – नियम 51 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में मतदान कराया जायेगा।

अध्याय - 9

निर्वाचन के लिए मतदान

53. **निर्वाचन में मतदान की रीति –** प्रत्येक निर्वाचन में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति से मतपत्र द्वारा मत दिये जायेंगे।

54. **मतपेटी –** प्रत्येक मतपेटी, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अध्यधीन रहते हुए ऐसे परिकल्प की होगी जिसमें मतपत्र डाले तो जा सकें किन्तु व्यवहृत पेपर सील को फाड़े बिना और मतपेटी को खोले बिना इन्हें निकाला न जा सके।

55. **मतपत्र –** (1) प्रत्येक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण ऐसे परिकल्प का होगा जो आयोग निर्धारित करे।

(2) मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण की पीठ पर मतदान केन्द्र का प्रभेदक चिन्ह लगाया जायेगा जिसमें जिला/ प्रखंड का नाम एवं मतदान केन्द्र की संख्या अंकित रहेगी। साथ ही, मतपत्र की पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी पूर्ण हस्ताक्षर करेगा।

56. **मतदान केन्द्र की व्यवस्था** – मतदान केन्द्र में एक या अधिक पृथक् मतदान कोष्ठ की व्यवस्था की जायेगी जिसमें मतदाता एक के बाद एक जाकर गुप्त रूप में अपना मत दे सकेंगे और किसी भी मतदाता को मतदान कोष्ठ में तबतक प्रवेश नहीं करने दिया जायगा, जबतक अपना मतदान करने के प्रयोजन से कोई अन्य मतदाता उसके अंदर हो।

57. **मतदान केन्द्र पर सूचनाएं** — प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनाएं प्रदर्शित की जायेंगी :-

(क) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या,

(ख) मतदान केन्द्र की मतदाता सूची,

(ग) देवनागरी लिपि में प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम एवं उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक, जो उसी क्रम में होगा जैसा नियम 43 में इंगित है।

58. **मतदान केन्द्र में प्रवेश** — पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अन्दर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे , और

(क) मतदान पदाधिकारियों,

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोक सेवकों,

(ग) आयोग , जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों ,

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं और इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के एक-एक मतदान अभिकर्त्ता,

(ङ) मतदाता के साथ गोद वाला शिशु,

(च) दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाता, जो सहायता के बिना चल-फिर नहीं सकता, के साथ वाला व्यक्ति , और

(छ) ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित करे , के सिवाय सभी अन्य व्यक्तियों को वहां से हटा देगा।

59. **मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपेटियों को बन्द करना तथा उनपर सील लगाना** —(1) पीठासीन पदाधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले अभ्यर्थियों को, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को तथा उनके मतदान अभिकर्त्ताओं को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों; मतदान के काम में लाई जाने वाली मतपेटी को निरीक्षण करने देगा और उन्हें दिखायेगा कि वह खाली है।

(2) तत्पश्चात् प्रयुक्त हो रही मतपेटी पर भीतर और बाहर निम्नांकित लेबुल लगाया जायेगा :-

(क) ग्राम पंचायत का नाम,

(ख) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या,

(ग) मुखिया /सरपंच या ग्राम पंचायत का सदस्य /पंच या पंचायत समिति/ जिला परिषद् का सदस्य (जैसी स्थिति हो) का निर्वाचन,

(घ) मतपेटी का क्रमांक (जो मतदान समाप्ति पर बाहरी लेबुल पर ही अंकित रहेगा) , और

(ङ) मतदान की तिथि

(3) तत्पश्चात्, पीठासीन पदाधिकारी मतपेटी पर अपना हस्ताक्षरित पेपर सील, जिसपर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता यदि वे चाहें, भी हस्ताक्षर कर सकेंगे, लगायेगा तथा मतपेटी को मतदान कराने की अवस्था में लायेगा।

60. **मतदाताओं की पहचान** — (1) पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथानिर्देशित अभिलेखों, कागजात/प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करायेगा।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने या मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(3) मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर पीठासीन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और अन्य विशिष्टियों को मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि से मिलायेगा और मतदाता का अनुक्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढकर सुनायेगा।

(4) मतदाता को मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार का विनिश्चय करने में पीठासीन पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि में लेखन या मुद्रण संबंधी किसी अशुद्धि की उपेक्षा करेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह प्रविष्टि उस मतदाता से ही संबंधित है।

61. **मतदाता की पहचान पर अभ्याक्षेप** – (1) कोई अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता किसी मतदाता की अनन्यता के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी को नगद दस रूपये जमा कर अभ्याक्षेप कर सकेगा।

(2) ऐसी राशि जमा करने पर पीठासीन पदाधिकारी :-

(क) अभ्याक्षेपित व्यक्ति को , छद्मधारी सिद्ध होने की अवस्था में दंडित किये जाने की चेतावनी देगा,

(ख) मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि को पढकर सुनायेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है, और

(ग) प्रपत्र 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा तथा उस पर उसका हस्ताक्षर लेगा।

(3) तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी, आक्षेपकर्त्ता एवं अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा एवं अन्य सुसंगत जांच कर, जो वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि अभ्याक्षेप सिद्ध हो सका है या नहीं। तत्पश्चात्, यथास्थिति वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान करने देगा या मतदान करने से वंचित करेगा।

(4) ऐसा अभ्याक्षेप सिद्ध नहीं होने की दशा में उप-नियम (1) के अधीन जमा राशि जब्त की जायेगी।

62. **मतपत्र जारी करना** — (1) मतदान प्रारंभ होने के नियत समय से पहले मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जायेगा।

(2) मतदान बन्द होने के नियत समय के बाद मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जायेगा ;

परन्तु यह कि वे मतदाता, जो मतदान बन्द होने के नियत समय तक मतदान केन्द्र में उपस्थित हों, नियत समय समाप्त हो जाने पर भी मतपत्र प्राप्त करने के अधिकारी होंगे एवं मतदान कर सकेंगे।

(3) (*i*) प्रथम मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रेखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकन करते हुए महिला मतदाता के नाम की बांयी ओर टिक (✓) चिन्ह अंकित करेगा। प्रथम मतदान पदाधिकारी मुखिया तथा सरपंच के निर्वाचन निमित्त मतपत्रों के प्रतिपर्णो पर मतदाता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा एवं उनपर उस मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा। तत्पश्चात् उस मतदाता की बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। उसके बाद वह ग्राम पंचायत के मुखिया तथा सरपंच निमित्त उक्त दो मतपत्रों को उस मतदाता के लिए द्वितीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करायेगा।

(*ii*) द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की दूसरी चिह्नित प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रेखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकन करते हुए महिला मतदाता के नाम की बायीं ओर टिक (✓) चिन्ह अंकित करेगा। द्वितीय मतदान पदाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन निमित्त मतपत्रों के प्रतिपर्णो पर मतदाता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा एवं उनपर उस मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा। तत्पश्चात् वह मतदाता को मत देने की प्रक्रिया से अवगत करायेगा एवं ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सरपंच के निर्वाचन से संबंधित दो मतपत्रों को मतदाता को देगा एवं ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन के निमित्त उक्त अन्य दो मतपत्रों को उस मतदाता के लिए तृतीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करायेगा। मुखिया एवं सरपंच के निर्वाचन से संबंधित दोनों मतप्रपत्र प्राप्त होते ही मतदाता प्रथम मतदान कोष्ठ में जाकर क्रमशः ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए मतपत्र पर, इस प्रयोजन के लिए रखे गये रबर स्टाम्प को किसी अभ्यर्थी के मुद्रित नाम के सामने अथवा उसके चुनाव चिह्न पर लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा। मतदाता मतपत्रों को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आकर सीलबन्द मतपेटी में डालेगा।यह मतपेटी द्वितीय मतदान पदाधिकारी के समक्ष रहेगी।

(*iii*) तृतीय मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की चिह्नित तीसरी प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रंखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकन करते हुए महिला मतदाता के नाम की बायीं ओर टिक (✓) चिन्ह अंकित करेगा। तृतीय मतदान पदाधिकारी पंचायत समिति के सदस्य तथा

जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन निमित्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों पर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा एवं उन पर उस मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा। तत्पश्चात् वह मतदाता को मत देने की प्रक्रिया से अवगत करायेगा एवं ग्राम पंचायत के सदस्य एवं पंच के निर्वाचन से संबंधित दो उक्त अन्य दो मतपत्रों को चतुर्थ मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करायेगा। ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन से संबंधित दोनो मतपत्र प्राप्त होते ही मतदाता द्वितीय मतदान कोष्ठ में जाकर क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के लिए मतपत्र पर, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रबर स्टाम्प को किसी अभ्यर्थी के मुद्रित नाम के सामने अथवा उसके चुनाव चिह्न पर लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा। मतदाता मतपत्रों को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आकर सीलबन्द मतपेटी में डालेगा। यह मतपेटी तृतीय मतदान पदाधिकारी के समक्ष रहेगी।

(*iv*) चतुर्थ मतदान पदाधिकारी मतदाता को मत देने की प्रक्रिया से अवगत करायेगा एवं पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों को मतदाता को देगा। उक्त दोनो मतपत्र प्राप्त होते ही मतदाता तृतीय मतदान कोष्ठ में जाकर क्रमशः पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य के लिए मतपत्र पर, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रबर स्टाम्प को किसी अभ्यर्थी के मुद्रित नाम के सामने अथवा उसके चुनाव चिह्न पर लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा। मतदाता मतपत्रों को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आकर सीलबन्द मतपेटी में डालेगा। यह मतपेटी चतुर्थ मतदान पदाधिकारी के समक्ष रहेगी। मतदाता मत डालने के बाद अविलंब मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा। यदि वह सभी मत डाले बिना मतदान केन्द्र से बाहर चला जाता है तो उसे पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(*v*) नियम 62 के उप-नियम (3) (*i*)(*ii*)(*iii*) एवं (*iv*) में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त को यह विश्वास हो जाता है कि उप-नियम (3)(*i*)(*ii*)(*iii*) एवं (*iv*) में प्रावधानों के अनुसार मतदान का संचालन करने में किसी प्रकार की व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाईयां आ सकती है, जिनके कारण मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचे की संभावना बनी रहेगी तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जैसा वह उचित समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं को मतपत्र देना तथा उस पर अपना मत व्यक्त करना, मतपत्र मतपेटिका में डालना, मतदान केन्द्र में उपयोग में आनेवाली मतपेटिकाओं की संख्या तथा किस स्थान पर मतपेटिकाओ को रखा जाय, प्रत्येक मतदान केन्द्र में पदस्थापित मतदान पदाधिकारियों के बीच निर्वाचन से संबंधित कार्यो का बंटवारा आदि के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकेंगे तथा इस प्रकार का दिशा निर्देश सर्वमान्य एवं अन्तिम समझा जाएगा।

(4) यदि निर्वाचन कुछ ही पदों के लिये कराया जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान पदाधिकारियों की संख्या में यथा आवश्यक कमी की जा सकेगी।

(5) (*i*)प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बारे में यथास्थिति, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी का समाधान हो गया हो, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी को अपनी बायीं तर्जनी देखने और उस पर अमिट स्याही से चिह्न लगाने देगा।

(*ii*) यदि कोई मतदाता उप-नियम (5) के खंड (*i*) के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी दिखाने या चिह्न लगाने देने से इन्कार करे अथवा उसकी बायीं तर्जनी पर पहले से वैसा ही चिह्न लगा हो अथवा यह स्पष्ट हो जाये कि उसने ऐसे चिह्न को मिटाने का प्रयास किया है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेगा और उसे मतदान करने की

अनुमति नहीं दी जाएगी।

(*iii*) इस नियम में मतदाता की बायीं तर्जनी के प्रति जो निर्देश दिया गया है वह उसे बायें हाथ की किसी दूसरी अंगुली के प्रति निर्देश समझा जायेगा, यदि उसकी बायीं तर्जनी न हो; यदि उसके बांये हाथ में कोई अंगूली न हो तो यह निर्देश दाहिने हाथ की तर्जनी या दूसरी अंगूली के प्रति निर्देश समझा जायेगा तथा यदि दोनो हाथों की सभी अंगूलियां गायब हों तो उसकी दाहिनी या बायीं भुजा का जो भी छोर हो, उसके प्रति निर्देश समझा जायेगा।

63. **दृष्टिहीन/ निःशक्त मतदाता द्वारा दिये गये मतों का अभिलेख** — यदि दृष्टिहीनता / निःशक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र में प्रतीक को पढ़ने में असमर्थ हो या अपना मतपत्र मतपेटी में डालने के लिये शारीरीक रूप से असमर्थ हो तो उसका सहायक, जो अठारह वर्ष की आयु से अन्यून होगा, ऐसे मतदाता के साथ मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा; ऐसे मतदाता की इच्छानुसार मतपत्र पर चिह्न लगायेगा तथा उसे मतपेटी में डालेगा परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐसे एक मतदाता का ही सहायक बनेगा। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक मामला का अभिलेख प्रपत्र 15 में रखेगा।

64. **खराब हुये और लौटाये गये मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र** — (1) उस मतदाता को, जिसकी भूल के चलते मतपत्र खराब हो गया हो एवं उपयोग के लायक नहीं रह गया हो, पीठासीन पदाधिकारी को उसे लौटा दिये जाने पर उस मतपत्र की पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी "खराब , रद्द किया गया " अंकित करेगा।

(2) यदि मतदाता कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में नहीं लाने का विनिश्चय करता है तब उसे वह पीठसीन पदाधिकारी को लौटा देगा और उसे लौटाये गये मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी "लौटाया गया , रद्द किया गया" अंकित करेगा।

(3) विभिन्न पदों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे मतपत्र, जो उप-नियम (1) या उप-नियम(2) के अधीन रद्द किये गये हों, पृथक् पैकेट में रखे जायेंगे।

(4) यदि कोई मतदाता दिये गये मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाले और मतपत्र मतदान केन्द्र या निकट किसी स्थान पर पाया जाये तो मतपत्र उप-नियम (2) के अधीन पीठासीन पदाधिकारी को लौटा दिया गया समझा जायेगा और उसके संबंध में उपनियम (2) में इंगित कर्रावाई की जायेगी।

65. **निविदत्त मत** – (1) यदि कोई व्यक्ति दावा करे कि वह मतदाता सूची में नामित मतदाता है किन्तु ऐसे मतदाता के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिया गया है तब पीठासीन पदाधिकारी का ऐसा समाधान हो जाने पर वह व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसे दिया गया ऐसा मतपत्र निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) निविदत्त मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जायेगा बल्कि इस पर संबंधित मतदाता द्वारा अपना मत चिह्नित कर इसे पीठासीन पदाधिकारी को सौंप दिया जायेगा जो इसे अलग पैकेट में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर ऐसे समस्त निविदत्त मतपत्रों की यह पैकेट सीलबन्द कर दी जायेगी।

(3) निविदत्त मतों की सूची प्रपत्र 16 में तैयार की जायेगी तथा मतपत्र निविदत्त करनेवाला मतदाता उस सूची में अपने निविदत्त मतपत्र के संबंध में की गई प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

66. **मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबन्द किया जाना**— (1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं के समक्ष मतपेटी की छेद को बन्द कर देगा और मतपेटी को सीलबन्द करेगा। साथ ही , उस पर किसी भी उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।

(2) जहां एक मतपेटी के भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग में लाना आवश्यक हो जाये तब पहली मतपेटी को उप-नियम (1) में इंगित रीति से तत्काल सीलबन्द कर दिया जायेगा।

67. **मतपत्र एवं पेपरसील का लेखा** -- मतदान के बन्द होने पर पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र 17 में मतपत्र लेखा एवं प्रपत्र 18 में पेपरसील लेखा तैयार करेगा और उन्हें पृथक् लिफाफों में रखेगा और उनके ऊपर "मतपत्र लेखा" /"पेपरसील लेखा" लिखेगा।

68. **अन्य पैकेटों का सीलबन्द किया जाना** —(1) पीठासीन पदाधिकारी —

(क) मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियां,

(ख) उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्र,

(ग) रद्द किये गये मतपत्र,

(घ) निविदत्त मतपत्रों का लिफाफा और सूची,

(ङ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची और

(च) अन्य ऐसे कागजात जिनके संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने यह निदेश दिया हो कि वे सीलबन्द पैकेट में रखे जायें ,के पृथक् - पृथक् पैकेट तैयार करेगा और उन्हे सीलबन्द करेगा।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसी प्रत्येक पैकेट पर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।

69. **संबंधित मतपेटियों, पैकेटों आदि का निर्वाची पदाधिकारी को प्रेषण** — (1) पीठासीन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को —

(क) मतपेटियां

(ख) मतपत्र-लेखा एवं पेपर सील लेखा,

(ग) नियम 68 में निर्दिष्ट सीलबन्द पैकेट और

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य कागजात, निर्दिष्ट किये गये स्थान में जमा करेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी उप-नियम (1) में अंकित वस्तुओं की , मतों की गणना प्रारंभ होने तथा मतगणना की समाप्ति तक अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा। मतगणना की समाप्ति के पश्चात् नियम 84 के अधीन निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा की जायेगी।

70. **मतदान अवधि के दौरान मतदान का स्थगन** — यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान कोई

असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाय तब पीठासीन पदाधिकारी मतदान स्थगित कर सकेगा तथा स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः मतदान करा सकेगा। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे मतदान स्थगन का विवरण अपनी डायरी में अंकित करेगा।

71. **आपात स्थिति में मतदान का स्थगन** – (1) यदि मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान बलबा, हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री के विनष्ट किये जाने या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकेगा और वह तत्क्षण कारण सहित इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन मतदान स्थगित होने पर इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को अविलम्ब देगा।

(3) आयेाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी को —

(क) उस मतदान केन्द्र में पुनः आगे मतदान कराने का आदेश देगा और इस निमित्त तारीख एवं समय नियत करेगा ; अथवा

(ख) उस मतदान को रद्द घोषित करेगा एवं उस मतदान केन्द्र में नये मतदान के लिए तारीख और समय नियत करेगा तथा ऐसा मतदान कराने का आदेश देगा।

अध्याय – 10
मतों की गणना

72. **मतों की गणना हेतु स्थान का चयन** - मतों की गणना हेतु स्थान का चयन आयोग के निदेशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

73. **मतों की गणना का पर्यवेक्षण**- मतों की गणना आयोग के निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में की जायेगी।

74. **मतगणना के लिये नियत किये गये स्थान में प्रवेश**–(1) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, मतगणना के लिये नियत स्थान से —

(क) ऐसे व्यक्ति को जिसे वह मतगणना में सहायता करने के लिये नियुक्त करे,

(ख) आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक और

(घ) अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता को छोड़कर,

अन्य व्यक्ति को हटा देगा।

(2) मतगणना टेबुल पर मतपेटी खोले जाने के पूर्व वहां उपस्थित गणन अभिकर्ताओं को मतपेटी की पेपर सील की अक्षुण्णता के सत्यापन निमित्त मतपेटी का निरीक्षण करने दिया जायगा।

(3) यदि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाता है कि मतपेटी में गड़बड़ी की गई है तब उस मतपेटी की बाबत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी —

(क) उस मतपेटी में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं की जायेगी ,

(ख) उपर्युक्त खण्ड(क) के संबंध में सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को अविलम्ब दी जायेगी।

(4) उप-नियम 3 (ख) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर आयोग तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यथोचित निदेश देगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग के निदेशानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

75. **मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना** — (1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, यदि

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है , या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(घ) उस पर प्रभेदक चिह्न या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, या

(ङ) मतपत्र चिह्नित नहीं किया गया है, या

(च) एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम में चिह्न लगाया गया है, या

(छ) उस पर विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया गया है।

(ज) मतपत्र प्रपत्र 9 में अंकित किसी अभ्यर्थी का नाम या अभ्यर्थियों के नाम क्रम / या किसी

अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुरूप नहीं मुद्रित हो।

(झ) ऐसा कोई अन्य आधार जो आयोग द्वारा सामान्य या विशिष्ट निदेश से विहित किया गया हो :

परन्तु यह कि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) में वर्णित त्रुटि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी की भूल के कारण हुई है, यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (घ) की त्रुटि के आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा ;

परन्तु यह और कि यदि मतदाता द्वारा अंकित किये गये चिह्न का विस्तार मतपत्र के दो कॉलमों में हो गया हो तो उस मत की गणना उस अभ्यर्थी के पक्ष में की जाएगी जिसके कालम में चिह्न का अधिक भाग पड़ता हो।

(2) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी किसी मतपत्र को उप-नियम (1) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे गणन अभिकर्त्ता को, जो उपस्थित हो, मतपत्र निरीक्षण के लिये युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उसे किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा।

(3) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, प्रतिक्षेपित मतपत्र पर शब्द "प्रतिक्षेपित" अंकित कर प्रतिक्षेपण के आधार को हाथ से या रबर स्टाम्प से अभिलिखित करेगा।

(4) प्रतिक्षेपित मतपत्रों को एक बंडल में बांधा जाएगा।

76. **मतों की गणना** — (1) प्रतिक्षेपित मतपत्रों को छोड़ कर मतपेटिका में पाये गये प्रत्येक मतपत्र की गणना की जायेगी ।

(2) मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम कचहरी के पंच के लिए प्रपत्र 19 में तथा मुखिया / सरपंच तथा पंचायत समिति/ जिला परिषद् के सदस्य के लिए प्रपत्र 20 में मतगणना का परिणाम अभ्यर्थीवार अंकित करेगा।

(3) तत्पश्चात् विधिमान्य मतपत्रों को बंडल में बांधा जाएगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ पृथक पैकेट में सीलबन्द किया जाएगा जिसपर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी , यथा —

(क) ग्राम पंचायत के सदस्य / ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम एवं संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, मुखिया /सरपंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम एवं संख्या तथा पंचायत समिति /जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के मामले में, यथास्थिति, पंचायत समिति, जिला परिषद् का नाम एवं संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या;

(ख) उस मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक जिसके मतपत्र हों; और

(ग) मतगणना की तारीख।

77. **मतगणना** — मतगणना यथासाध्य लगातार की जायगी। यदि मतगणना निलंबित करनी पड़े, तब मतपत्र और अन्य कागजात सीलबंद कर सुरक्षित रखे जायेंगे। उपस्थित अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता इच्छानुसार उनपर अपनी सील लगा सकेंगे।

78. **प्रत्यादिष्ट / स्थगित निर्वाचन के निमित्त मतदान के लिए मतगणना**। — (1) नियम 50 के अधीन प्रत्यादिष्ट एवं नियम 71 के अधीन स्थगित हुए मतदान के संबंध में निर्वाचन के पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना हेतु तिथि, समय और स्थान नियत करेगा तथा इसकी सूचना अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को

देगा।

(2) ऐसी मतगणना का परिणाम नियम 76 के उप-नियम (2) के अधीन यथास्थिति निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जायगा।

79. **मतों की पुनर्गणना** — (1) अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता या उसका गणन अभिकर्त्ता मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए उसके आधार सहित निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे आवेदन को निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अभिलिखित कारण सहित पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) यदि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवेदन को उप-नियम (2) के अधीन पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत करता है, तो वह मतपत्रों की पुनर्गणना करायेगा तथा नियम 76 के उप-नियम (2) में निर्धारित प्रपत्र में मतगणना के परिणाम को यथास्थिति संशोधित करेगा और उस परिणाम की घोषणा करेगा।

(4) उसके पश्चात् पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पुनः नही लिया जायेगा।

80. **मत बराबर होना** —यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत आए हों जो अधिकतम हों तब निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जायगा तथा निर्वाची पदाधिकारी तदनुसार मतगणना का परिणाम घोषित करेगा।

81. **परिणामों की घोषणा** — (1) निर्वाची पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी प्रपत्र 21 में निर्वाचन परिणाम की विवरणी अंकित कर यथास्थिति ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच, मुखिया/सरपंच तथा पंचायत समिति/ जिला परिषद् के सदस्य के लिए उस अभ्यर्थी को, जिसे अधिकतम विधिमान्य मत मिले हैं, निर्वाचित घोषित करेगा और उसी प्रपत्र में इसे प्रमाणित करेगा।

(2) प्रपत्र 21 की हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तथा उसके माध्यम से एक-एक प्रति आयोग को और निदेशक , पंचायत राज को भेजी जायेगी।

82. **निर्वाचन प्रमाण-पत्र** — निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को , जो निर्वाचित हुआ है, प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा।

83. **निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन** — जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र 23 में जिला गजट में प्रकाशित करायेगा तथा उसकी एक-एक प्रति आयोग एवं निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा।

अध्याय 11
निर्वाचन संबंधी अभिलेख

84. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा** — जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 67, 68 एवं 76 (3) में निर्दिष्ट पैकेटों को आयोग द्वारा यथाविहित रीति से अभिरक्षा में रखेगा।

85. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन तथा निरीक्षण** — अभिरक्षण में रखे हुए निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन एवं निरीक्षण अध्यादेश में विहित न्यायालय/ प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा।

86. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का विनष्टीकरण** — नियम 84 में निर्दिष्ट निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात् आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अध्यधीन उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

अध्याय 12

उप-मुखिया, उप-सरपंच, उप-प्रमुख, प्रमुख, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष का निर्वाचन

87. **निर्वाचन के लिए बैठक** — **(1)**राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में अधिनियम की धारा 15, 93,40 एवं 67 के अधीन क्रमशः उप-मुखिया एवं उप-सरपंच, प्रमुख एवं उप-प्रमुख तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के निमित्त ग्राम पंचायत तथा ग्राम कचहरी /पंचायत समिति/ जिला परिषद् की बैठक की तिथि, समय और स्थान यथास्थिति प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना सभी संबंधित सदस्यों को प्रपत्र 24 में दी जायेगी।

परन्तु यह कि अगर किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक स्थान रिक्त हों, तो उन रिक्त पदों को भरने हेतु अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन करा लेने के पश्चात ही उक्त पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के प्रमुख /उप प्रमुख अथवा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बैठक निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विहित तिथि को बुलायी गयी बैठक में सर्वप्रथम यथास्थिति ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों को नियम 126 में विहित प्रक्रिया अनुसार शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञा करायी जाएगी।

88. **बैठक की अध्यक्षता** – अनुमंडल दंडाधिकारी पंचायत समिति एवं जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करेगा।

89. **नाम निर्देशन-पत्र दाखिल किया जाना** — प्रत्येक अभ्यर्थी प्रपत्र 25 में नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक एवं समर्थक, यथास्थिति, ग्राम पंचायत /ग्राम कचहरी/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् का कोई सदस्य होगा। एक सदस्य एक ही अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक होगा।

90. **नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा** —(1) अध्यक्ष नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा करेगा।

(2) अध्यक्ष —

(क) उस अभ्यर्थी का नाम जिसका नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य पाया गया है, उसके आधार सहित; तथा

(ख) उस अभ्यर्थी का नाम जिसका नाम निर्देशन-पत्र विधिमान्य पाया गया है, पढकर सुनायेगा।

91. **विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना** —अध्यक्ष देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची बनायेगा तथा उसकी घोषणा करेगा।

92. **निर्विरोध निर्वाचन** — यदि पद के लिए एक ही विधिमान्य अभ्यर्थी हो तो अध्यक्ष उसे सम्यक रूपेण निर्वाचित घोषित करेगा।

93. **सविरोध निर्वाचन** —यदि विधिमान्य अभ्यर्थी एक से अधिक हों तब अध्यक्ष बैठक में उपस्थित सदस्यों का गुप्त मतदान करायेगा और तत्संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

94. **मतपत्र** — अध्यक्ष प्रपत्र 26 में मतपत्र तैयार करायेगा। मतपत्र अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

95. **मतदान की प्रक्रिया** — (1) प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जायगा, जिसमें वह निर्धारित गुप्त रीति से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने (X) का चिह्न लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित गोपनीय प्रक्रिया का अनुसरण कर ऐसे मतपत्रों को एकत्र किया जायगा।

96. **अविधिमान्य मतपत्र** — कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा यदि —

(क) उस पर सदस्य का हस्ताक्षर हो या कोई ऐसा शब्द दृष्टिगत हो जिससे मतदाता पहचाना जा सके या

(ख) उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्न लगाया गया हो , या

(ग) उस पर चिह्न इस प्रकार लगाया गया हो कि यह निश्चित नहीं हो सके कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है , या

(घ) उस पर क्रॉस का चिह्न नहीं लगाया गया हो , या,

(ङ) उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं हो।

97. **मतगणना** — (1) अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतपत्रों की गणना करेगा।

(2) विधिमान्य मतपत्रों की गणना हो जाने पर अध्यक्ष उसका परिणाम प्रपत्र 27 में अभिलिखित करेगा तथा उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा जिसे अधिकतम मत प्राप्त हुए हैं।

98. **मत बराबर होना** — यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत आये हों, जो अधिकतम हों, तब अध्यक्ष उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जायेगा तथा अध्यक्ष तदनुसार मतगणना का परिणाम घोषित करेगा।

99. **प्रमाण-पत्र दिया जाना** — अध्यक्ष निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र देगा।

100. **बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार किया जाना** —अध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करेगा तथा उस पर उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर लेते हुए अपना हस्ताक्षर करेगा।

101. **निर्वाचित व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन**— अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्तियों की हस्ताक्षरित सूची, यथास्थिति, ग्राम पंचायत कार्यालय / प्रखंड कार्यालय/ जिला परिषद् कार्यालय में प्रकाशित करेगा।

102. **विधिमान्य–अविधिमान्य मतपत्रों का पैकेट बनाया जाना**— अध्यक्ष विधिमान्य मतपत्रों तथा अविधिमान्य मतपत्रों के अलग-अलग पैकेट बनायेगा, प्रत्येक पैकेट को सीलबंद करेगा और उस पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण , संबंधित निर्वाचन तथा उसकी तारीख अंकित करेगा।

103. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन तथा निरीक्षण** — अभिरक्षा में रखे हुए निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन एवं निरीक्षण अधिनियम में विहित न्यायालय /प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा।

104. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण।** — (1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 103 में निर्दिष्ट पैकटों को अभिरक्षा में रखेगा।

(2) निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात् आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अध्यधीन रहने के पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायगा।

अध्याय 13
प्रकीर्ण

105. **निर्वाचन की अधिसूचना** — राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, पंचायतों एवं ग्राम कचहरी को गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिये तारीख या तारीखों को नियत कर राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इसके द्वारा अपेक्षा की जायेगी कि अध्यादेश तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के उपबंधो के अनुसार मतदातागण पंचायत/ग्राम कचहरी के पदधारकों को निर्वाचित करें :

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह से पहले नहीं निकाली जा सकेगी।

106. **चुनाव याचिका** — (1) अध्यादेश की धारा 137 में विहित न्यायालय के समक्ष किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के विरूद्ध चुनाव याचिका निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीस (30) दिनों के भीतर दायर की जा सकेगी।

(2) वादी द्वारा अपनी याचिका में निम्नांकित को प्रतिपक्ष बनाया जा सकेगाः-

(क) जब वादी द्वारा किसी अभ्यर्थी अथवा सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन को अवैध घोषित करने का दावा करने के अतिरिक्त स्वयं अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के विधिवत निर्वाचन होने का दावा किया गया हो तो उस मामले में वादी को छोड़कर अन्य सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिपक्षकार बनाया जाएगा एवं जहां ऐसा कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया गया हो वैसे मामले में सभी अभ्यर्थियों को ; एवं

(ख) अन्य कोई अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध याचिका में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया हो।

107. **कोर्ट शुल्क** — (1) ग्राम पंचायत /ग्राम कचहरी के किसी पद के प्रसंग में चुनाव याचिका के लिये **दो हजार पॉच सौ** रूपये कोर्ट शुल्क देय होगा।

(2) पंचायत समिति/जिला परिषद् के किसी पद के प्रसंग में चुनाव याचिका के लिये **पॉच हजार** रूपये कोर्ट शुल्क देय होगा।

108. **चुनाव याचिका के तथ्यों का सत्यापन** — चुनाव याचिका में उन तथ्यों का विवरण रहेगा जिस पर वादी निर्भर करता हो । वादी चुनाव चाचिका पर अपना हस्ताक्षर करेगा और व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 में विहित रीति से अपने अभिवचनों का सत्यापन करेगा।

109. **चुनाव याचिका की सुनवाई** — सक्षम न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में विहित रीति से चुनाव याचिका की सुनवाई करेगा।

110. **चुनाव याचिका की वापसी** — चुनाव याचिका न्यायालय के आदेश के बिना वापस नहीं ली जा सकेगी : परन्तु यह कि यदि चुनाव याचिका में एक से अधिक वादी हों तो सर्वसम्मति के बिना चुनाव याचिका वापस नहीं ला जा सकेगी ।

111. **चुनाव याचिका की सुनवाई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान लागू होना**– चुनाव याचिका की सुनवाई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 लागू होगा।

112. **चुनाव याचिका पर आदेश** — (1) न्यायालय। विहित प्राधिकारी सुनवाई के पश्चात् यदि विनिश्चय

करता है कि निर्वाचित व्यक्ति अध्यादेश की धारा 139 अथवा 141 के प्रावधानों के अन्तर्गत कदाचार का दोषी है तो निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकेगा एवं पुनर्निर्वाचन का आदेश दे सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय / विहित प्राधिकारी अन्य अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित कर सकेगा।

113. **चुनाव याचिका पर आदेश की प्रति प्राप्त किया जाना** — न्यायालय /विहित प्राधिकारी द्वारा चुनाव याचिका पर पारित आदेश की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा आयोग को प्राप्त कराई जायेगी।

114. **निर्वाचन हेतु यान / परिसर का अधिग्रहण और वापसी** — (1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी यान या परिसर का लिखित आदेश से अधिग्रहण कर सकेगा ;

परन्तु यह कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता को अनुमान्य वाहनों, जिसकी संख्या आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो , का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन अधिग्रहित कोई परिसर/यान अधिग्रहण से निर्मुक्त किया जाना हो तब उसका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर/यान अधिग्रहित किया गया था, या उस व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त किया जायेगा।

115. **क्षतिपूर्ति भुगतान** – जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियम 116 के अधीन अधिग्रहित परिसर या यान की क्षतिपूर्ति का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा।

116. **आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत करने की शक्ति** – आयोग इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन आवश्यक अनुदेश निर्गत कर सकेगा।

117. **अयोग्यता का निर्णय** – बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006 की धारा 136 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के प्रश्न के निर्णयार्थ अध्यादेश की धारा 136 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन सभी स्तर के पंचायतों के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति की अयोग्यता का मामला आवेदन, परिवाद पत्र या सूचना के माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी द्वारा लाया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामले का संज्ञान ले सकेगा। अयोग्यता का मामला दृष्टि में आने पर राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका देते हुए ऐसे मामलों पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा।

118.**निर्वाचन खर्च का लेखा एवं उसकी अधिसीमा -** (1) पंचायत निकाय /ग्राम कचहरी निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी नाम निर्देशन की तिथि एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि (दोनों तिथि सहित) में या तो स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किये गये खर्चों अथवा उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अधिकृत किये गये खर्चों का एक लेखा अलग से सही-सही संधारित करेगा।

(2) कोई भी उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा पंचायत निकाय/ग्राम कचहरी के पदों , यथा जिला परिषद् सदस्य; ग्राम पंचायत मुखिया तथा सरपंच; पंचायत समिति सदस्य तथा ग्राम पंचायत सदस्य/पंच के निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन मद में क्रमशः रूपये 50,000(पचास हजार), 25,000(पच्चीस हजार), 20,000(बीस हजार),10,000 (दस हजार) से अधिक कोई व्यय न किया जायेगा और न प्राधिकृत किया जायेगा।

119. **निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी -** (1) नियम 120 के अधीन जिला गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी प्रपत्र-29 में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल की जायेगी जिसके साथ संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र -30 में एक शपथ/घोषणा दाखिल किया जायेगा।

(2) जिस समय जब कोई निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ दाखिल की जायेगी तब वह उस पर दाखिल की तारीख अंकित करेगा और यह भी प्रमाणित करेगा कि उसकी राय में विवरणी नियम द्वारा अपेक्षित रीति से समय के अन्दर दाखिल की गई है।

120. **निर्वाचन व्यय विवरणी की सूचना -** निर्वाचन व्यय विवरणी के प्राप्ति के 7(सात) दिनों के अन्दर निर्वाची पदाधिकारी एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें विवरणी की प्राप्ति की तिथि और स्थान एवं समय जहाँ उसका निरीक्षण किया जा सकेगा, उल्लिखित रहेगा। यह सूचना शासकीय / जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी और 10 (दस) रूपये शुल्क भुगतान पर विवरणी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

ऐसी सूचना निर्वाची पदाधिकारी सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

121. **पंचायत में आकस्मिक रिक्ति** — यदि पंचायत के किसी पदधारक का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है तब जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग को सूचित करेगा। आयोग रिक्त स्थान को भरने निमित्त अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधो के अध्यधीन कार्रवाई करेगा।

122. **शपथ-ग्रहण** – (1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) शपथ-ग्रहण /प्रतिज्ञा करने निमित्त कार्यक्रम निर्धारित करेगा।

(2) ग्राम पंचायत के सदस्य तथा मुखिया एवं ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ग्राम पंचायत /ग्राम कचहरी की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ-ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रथम बैठक में मुखिया तथा सरपंच, क्रमशः उप-मुखिया एवं उप-सरपंच को शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञा करायेगा।

परन्तु मुखिया/ सरपंच की अनुपस्थिति में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी शपथग्रहण/ प्रतिज्ञा करायेगा।

(4) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अन्यून हो, पंचायत समिति के सदस्य , प्रमुख एवं उप-प्रमुख को तथा जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यंक्ष को शपथ -ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा।

(5) शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञा प्रपत्र 28 में कराया जायेगा।

(6) शपथग्रहण /प्रतिज्ञा करने वाले पदधारकों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित की जायेगी ।

प्रपत्र - 1

नियम 8 (1), 8(4) देखिए

निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला –

प्रखंड –

*ग्राम पंचायत —— *निर्वाचन क्षेत्र

*पंचायत समिति —— (*मुखिया/ *सरपंच/ *प्रमुख/ *अध्यक्ष)

*जिला परिषद् —— *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

(सदस्य)

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/नाम	जनसंख्या	* निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
1	2	3	4

स्थान

तारीख जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हों उसे काट दें ।

टिप्पणी : स्तमभ 4 में :

(1) ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार के लिए क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का नाम भरा जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत /ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार के लिए टोला का नाम/ किसी निर्देश सूचक चिह्न (प्राकृतिक, कृत्रिम या अन्य वस्तुओं को दिखाते हुए) भरा जायेगा।

(3) पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार के लिए ग्राम पंचायत का नाम या यदि ग्राम पंचायत को विभक्त कर पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गठित किया गया है तो विभक्त ग्राम पंचायत के लिए निर्देश सूचक चिह्न (प्राकृतिक, कृत्रिम या अन्य वस्तुओं को दिखाते हुए) भरा जायेगा।

(4) जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंचायत का नाम या यदि पंचायत समिति को विभक्त कर जिला परिषद् का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गठित किया गया है तो विभक्त पंचायत समिति के लिए निर्देश सूचक चिह्न (प्राकृतिक, कृत्रिम या अन्य वस्तुओं को दिखाते हुए) भरा जायेगा।

प्रपत्र - 2

(नियम 15 देखिये)

आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र आवंटन पंजी

जिला परिषद ..... पंचायत समिति ..... ग्राम पंचायत .....

भाग-एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद

*राज्य *जिला परिषद *पंचायत समिति *ग्राम पंचायत	की ग्रामीण जनसंख्या				*जिला परिषद के अध्यक्ष/ सदस्य *पंचायत समिति के प्रमुख/ सदस्य *ग्राम पंचायत के मुखिया/ ग्राम कचहरी के सरपंच *ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम कचहरी के पंच			के लिए	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल	कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए कुल पद	अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद	पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद	अन्य के लिए कुल पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भाग-दो

निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

भाग-तीन

निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या : अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
	I		II		III		IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भाग-चार

आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	*निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 3

(नियम 16, 17 देखिये)

आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला.....*ग्राम पंचायत .....

*पंचायत समिति .....

प्रखंड .....*जिला परिषद् .....

*निर्वाचन क्षेत्र

(*मुखिया/*सरपंच/*प्रमुख/*अध्यक्ष)

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

(सदस्य)

क्रमांक	*निर्वाचन क्षेत्र/*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	कोटि जिसके लिये आरक्षित/अनारक्षित है।	महिला के लिए आरक्षित/अन्य।
1	2	3	4

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

जिला दंडाधिकारी

..... का हस्ताक्षर

आयोग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

टिप्पणी – (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ``अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।

(2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में ``महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं हैं तब ``अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।

वर्ष .....

प्रपत्र - 4

(नियम 21 देखिये)

मतदाता सूची

जिला..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत .....

ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या

क्रमांक	विधान-सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक	गृह संख्या	मतदाता का नाम	पिता/माता/पति का नाम	पुरूष/महिला	आयु	निर्वाचक पहचान पत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र - 5
(नियम 36 देखिये)
कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी .....

निर्वाचन की सूचना

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं.....जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला ..... इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट *ग्राम पंचायत के सदस्यों/*ग्राम कचहरी के पंचों/*ग्राम पंचायत के मुखिया/*ग्राम कचहरी के सरपंच/*पंचायत समिति/*जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूँ कि :–

(क) अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी *ग्राम पंचायत/*ग्राम कचहरी/*पंचायत समिति/*जिला परिषद् ..... के लिए *पंचो/*सदस्यों/*मुखिया/*सरपंच के निर्वाचन का संचालन करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि और समय होगा।

(ग) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा।

(घ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (10) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा।

(ङ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (11) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतदान की तारीख और समय होगा।

(च) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतों की गणना करने की तारीख और समय होगा।

(छ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट स्थान मतों की गणना का स्थान होगा।

स्थान .....

तारीख ..... जिला निर्वाचन पदाधिकारी

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी – यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्तम्भ (12) में अंकित तारीख और समय एवं स्तम्भ (13) में अंकित स्थान पर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना का संशोधित कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	*ग्राम पंचायत *ग्राम कचहरी *पंचायत समिति *जिला परिषद् का नाम।	पद	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला के लिए आरक्षित/ अन्य	निर्वाची पदाधिकारी का नाम तथा पदनाम
1	2	3	4	5	6	7

नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि (तारीख) और समय	नाम निर्देशन-पत्र संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय।	नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय।	वह तारीख तथा वह समय जिसके दौरान मतदान होगा।	मतों की गणना करने की तारीख और समय।	मतों की गणना का स्थान
8	9	10	11	12	13

स्थान ..... जिला निर्वाचन पदाधिकारी

तारीख ..... जिला .....

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी – 1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नामका उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ``अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में ``महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ``अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।

3. स्तम्भ 8 में ``अवधि (तारीख)'' नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा ``मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक''।

प्रपत्र - 6

(नियम 38 (2), 39 (1) देखिये)

नाम निर्देशन-पत्र

जिला..... प्रखंड .....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन।

मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम –

पिता/माता/पति का नाम –

डाक पता – प्रखंड – जिला –

जो ग्राम पंचायत ..... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... की मतदाता सूची में क्रमांक ..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो जिला .....

प्रखंड ..... ग्राम पंचायत ..... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... की मतदाता सूची में क्रमांक ..... पर प्रविष्ट है।

स्थान .....

तारीख ..... प्रस्तावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ और एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया है।

(ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।

(घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का हूँ। सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है।

स्थान .....

तारीख ..... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक .....

यह नाम निर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में तारीख ..... को .....(बजे) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं परिदत्त किया गया।

तारीख ..... निर्वाची पदाधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय।

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 41 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

स्थान .....

तारीख ..... निर्वाची पदाधिकारी

(छिद्रण)

नाम निर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को दी जाने के लिये)

नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक .....

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... का, जो* .....

के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, नाम निर्देशन-पत्र मुझे तारीख ..... को ..... (बजे) अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख ..... को ..... (बजे) स्थान ..... में की जायेगी।

स्थान .....

तारीख ..... निर्वाची पदाधिकारी

---

*इस स्थान पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम तथा संबंधित पद लिखें जैसा इस प्रपत्र के शीर्ष भाग पर प्रस्तावक द्वारा अंकित किया गया है।

प्रपत्र - 7

(नियम 41 (6) देखिये)

विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

जिला..... प्रखंड .....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4

स्थान .....

तारीख .....

निर्वाची पदाधिकारी

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 8

(नियम 42 देखिये)

अभ्यर्थिता वापस ली जाने की सूचना

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

निर्वाची पदाधिकारी,

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पति ....., जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिये विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, एतद् द्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ।

स्थान .....

तारीख .....

विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी
का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को ..... बजे अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा परिदत्त की गयी।

तारीख .....

निर्वाची पदाधिकारी

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

वापसी की सूचना के लिये रसीद
(सूचना देने वाले व्यक्ति को दिये जाने के लिये)

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... जो** ..... के लिये निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा मेरे कार्यालय में ..... (बजे) ..... (तारीख) को दी गई।

तारीख .....

निर्वाची पदाधिकारी

** इस स्थान पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम तथा संबंधित पद लिखें जैसा इस प्रपत्र के शीर्ष भाग पर प्रस्तावक द्वारा अंकित किया गया है।

प्रपत्र - 9

(नियम 43 (1) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला..... प्रखंड .....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4

स्थान .....

तारीख ..... निर्वाची पदाधिकारी

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 10

(नियम 45 (1) देखिये)

निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

मैं (अभ्यर्थी का नाम) ..... उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ तथा श्री ..... (अभिकर्त्ता का नाम एवं पता) को आज की तारीख से एतद् द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान .....

तारीख ..... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान .....

तारीख ..... निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थान .....

तारीख ..... निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 11

(नियम 46 (1) देखिये)

मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

---

*मैं, (अभ्यर्थी का नाम) ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ/

मैं, (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम) ....., जो श्री/सुश्री/श्रीमती .....

जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ, एतद् द्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती .....

पता ..... को मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थान ..... पर मतदान अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान .....

तारीख ..... अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)

मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अध्यादेश एवं उसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान .....

तारीख ..... मतदान अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 12

(नियम 48 (1) देखिये)

गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

---

* मैं, (अभ्यर्थी का नाम) ....., जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/

* मैं, (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम) .....जो

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं, का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ,

एतद् द्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती .....पता .....

को मतगणना के दौरान .....स्थान पर गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान .....

तारीख ..... अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान .....

तारीख ..... गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(गणन अभिकर्त्ता की घोषणा जिसपर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में अध्यादेश एवं उसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान .....

तारीख ..... गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 13

(नियम 51 (1) देखिये)

निर्विरोध निर्वाचन

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 51 के अध्यधीन मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

श्री/सुश्री/श्रीमती .....

पता .....

जो उपर्युक्त पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी थे/थी, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान .....

तारीख ..... निर्वाची पदाधिकारी

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 14

(नियम 61 (2) (ग) देखिये)

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थान .....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक	उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जिसकी मतदाता सूची है।	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।
1	2	3	4	5

जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेपकर्त्ता का नाम	राशि जमा करने पर अभ्याक्षेपकर्त्ता का हस्ताक्षर	पीठासीन पदाधिकारी का आदेश
6	7	8	9	10

स्थान .....

तारीख .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 15

(नियम 63 देखिये)

दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं की सूची

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थान .....

क्रमांक	मतदाता सूची का क्रमांक	मतदाता का पूरा नाम	सहायक का पूरा नाम	सहायक का पूरा पता	सहायक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान।
1	2	3	4	5	6

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र - 16

(नियम 65 (3) देखिये)

निविदत्त मतों की सूची

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थान .....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक	उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जिसकी मतदाता सूची है	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।
1	2	3	4	5	6

स्थान .....

तारीख .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 17

(नियम 67 देखिये)

मतपत्र लेखा

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थान .....

		अनुक्रमांक	कुल संख्या
1.	मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या	..... से	.....
2.	उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्रों की संख्या	..... से	.....
3.	उपयोग में लाये गये मतपत्रों की संख्या (1 - 2 = 3)		
4.	उपयोग में लाये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्र – (क) रद्द किये गये मतपत्रों का संख्या - (ख) निविदत्त मतपत्रों की संख्या - (ग) मुद्रण/लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किये किये गये मतपत्रों की संख्या योग - (क + ख + ग)		....
5.	मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की संख्या (3 - 4 = 5)		.....

स्थान .....

तारीख .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 18

(नियम 67 देखिये)

पेपर सील लेखा

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थान .....

भाग (एक)

क्रमांक	व्यवहृत मतपेटी की संख्या	व्यवहृत पेपर सील का अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4

भाग (दो)

	अनुक्रमांक	कुल संख्या
1. प्राप्त पेपरसील की संख्या	..... से	.....
2. व्यवहृत पेपर सील की संख्या	..... से	.....
3. बर्बाद पेपर सील, यदि हो, की संख्या	..... से	.....
4. अव्यवहृत पेपर सील, जिसे निर्वाची पदाधिकारी को वापस किया गया [1 - (2 + 3)]	..... से	.....

मतदान अभिकर्त्ता/ अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

स्थान .....

तारीख ..... पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 19

(नियम 76 (2) देखिये)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

(*सदस्य/*पंच)

जिला ..... प्रखंड .....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम .....

ग्राम पंचायत .....

मतदान केन्द्र संख्या ..... स्थान .....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या।
	योग –	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या –

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या –
(क + ख)

मतगणना का स्थान .....

तारीख .....

निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 20

(नियम 76 (2) देखिये)

भाग (एक)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

जिला ..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत .....

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से .....ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से .....ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से ..... जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

टेबुल संख्या ..... चक्र संख्या .....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या।
	योग –	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –
(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या –
(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या –
(क + ख)

मतगणना का स्थान .....

तारीख .....

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 20

(नियम 76 (2) देखिये)

भाग (दो)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

जिला ..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत .....

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से .....ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से .....ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से ..... जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या							
		प्रथम चक्र	द्वितीय चक्र	तृतीय चक्र	चतुर्थ चक्र	पंचम चक्र	षष्ठम् चक्र	सप्तम चक्र	कुल योग
(क) विधिमान्य मतों की संख्या –									
(ख) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या –									
(ग) डाले गये मतों की संख्या – (क + ख)									

निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 21

(नियम 81 (1) देखिये)

निर्वाचन परिणाम की विवरणी

जिला ..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत .....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से ..... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से .....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या।
1	2	3
	योग –	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या –

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या –

(क + ख)

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि –

नाम –

पता –

उपर्युक्त पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान –

तारीख –

निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 22

(नियम 82, 99 देखिये)

निर्वाचन प्रमाण-पत्र

मैं ..... निर्वाची पदाधिकारी/अध्यक्ष इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....को श्री/सुश्री/श्रीमती..... जो श्री/श्रीमती ..... के/की पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं और जो ..... ग्राम ..... प्रखंड ..... जिला के/की निवासी हैं, को ..... के रूप में
(पद लिखें)

..... से, जो .....
(निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम लिखें) **(आरक्षण कोटि लिखें)**

के लिए आरक्षित/अनारक्षित है, सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निंर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया है।

स्थान .....

तारीख .....

निर्वाची पदाधिकारी / अध्यक्ष का हस्ताक्षर

(पदनाम की मुहर)

प्रपत्र - 23

(नियम 83 देखिये)

निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 83 के अनुसरण में मैं एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम कचहरी/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम कचहरी/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे पद संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5

स्थान .....

तारीख .....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

टिप्पणी (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ``अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।

(2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में ``महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ``अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।

प्रपत्र - 24

(नियम 87 देखिये)

उप मुखिया/उप-सरपंच/प्रमुख/उप-प्रमुख/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक की सूचना

सेवा में,

_____ (नाम से)

* ग्राम पंचायत के मुखिया

ग्राम कचहरी के *सरपंच/ *पंच

*ग्राम पंचायत

* पंचायत समिति _____ के सदस्य

* जिला परिषद्

महोदय,

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 87 के उप-नियम (1) के अध्यधीन एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अध्यादेश की धारा *15/ *93/ *40/ *67 के अधीन *उप-मुखिया/ *उप-सरपंच/ *प्रमुख/ *उप-प्रमुख/ *अध्यक्ष/ *उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए *ग्राम कचहरी/ *ग्राम पंचायत/ *पंचायत समिति/ *जिला परिषद की बैठक तारीख ..... को ..... (बजे) ..... (स्थान) पर की जायेगी। उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

स्थान .....

तारीख .....

जिला दंडाधिकारी/ अनुमंडल दंडाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 25

(नियम 89 देखिये)

नाम निर्देशन पत्र

_____ पंचायत समिति के *प्रमुख/ *उप-प्रमुख

_____ जिला परिषद् के *अध्यक्ष/ *उपाध्यक्ष

के निर्वाचन के लिए।

अभ्यर्थी का पूरा नाम _____

उसका पता _____

प्रस्तावक का पूरा नाम _____

उसका पता _____

प्रस्तावक का हस्ताक्षर

समर्थक का पूरा नाम _____

उसका पता _____

समर्थक का हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी की घोषणा)

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अपने नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

स्थान .....

तारीख ..... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 26

(नियम 94 देखिये)

मतपत्र

* पंचायत समिति _____ के *प्रमुख/ *उप-प्रमुख

* जिला परिषद् _____ के *अध्यक्ष/ *उपाध्यक्ष

के निर्वाचन के लिए।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	क्रौस चिह्न (X) के लिए स्थान

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

_____

टिप्पणी- * जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

किसी अभ्यर्थी को मत देने के लिए उसके नाम के सामने क्रौस चिह्न (X) अंकित कीजिये।

प्रपत्र - 27

(नियम 97 (2) देखिये)

निर्वाचन-परिणाम की विवरणी एवं घोषणा

* पंचायत समिति _____ के प्रमुख/उप-प्रमुख

* जिला परिषद् _____ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

का निर्वाचन।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मतों की संख्या

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या –

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या –
(क + ख)

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि –

नाम –

पता –

उपर्युक्त पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान –

तारीख –

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र - 28

(नियम 122 (5) देखिये)

शपथ/प्रतिज्ञा पत्र

मैं ..... ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ/

निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ

कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूँगा/करूँगी और किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना से रहित, अपने कर्त्तव्य का, जिस पर आरूढ़ होने वाला/वाली हूँ, श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी। मैं कर्त्तव्य-पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी, प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान .....

तारीख .....

शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञा कर्त्ता का हस्ताक्षर

विहित पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम की मुहर

प्रपत्र-29

निर्वाचन व्यय लेखा का प्रपत्र

[देखें नियम - 119]

क्रमांक	व्यय का मद	मात्रा/संख्या	किस व्यक्ति/संस्था द्वारा व्यय वहन किया गया	व्यय की गई राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान का तरीका (चेक/नगद)	भुगतान का प्रमाण (प्राप्ति रसीद/चेक का विवरण)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जमानत की राशि							
2.	मतदाता सूची का क्रय							
3.	होर्डिंग, बैनर, झंडा, पर्णिका, पोस्टर सार्वजनिक घोषणा-पत्र का मुद्रण/ लगाने/वितरण पर हुए व्यय							
4.	विज्ञापन का प्रकाशन							
5.	आम सभा के प्रचार तथा सभा स्थल, पंडाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, फोटोग्राफर इत्यादि के किराये पर हुए व्यय							
6.	ऑडियो कैसेट के निर्माण एवं प्रसारण पर हुए व्यय							
7.	अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता / मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता द्वारा प्रयोग में लाये गये वाहनों का किराया/ इंधन में हुए व्यय							
8.	निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता/समर्थकों के पारिश्रमिक/ अल्पाहार/आहार पर हुए व्यय							
9.	उपर्युक्त से भिन्न विविध व्यय							

दिनांक -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(क) व्यय प्रतिवेदन दाखिल किये जाने की अपेक्षित तिथि ....

(ख) व्यय प्रतिवेदन दाखिल किये जाने की तिथि ....

दिनांक – निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मेरे द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन की जाँच की गई है तथा मेरी राय में यह अपेक्षित तरीके से दाखिल/दाखिल नहीं किया गया है।

दिनांक – निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट :-

1. उन मदों जिनके लिए रसीद प्राप्त नहीं की जा सके, यथा, रेल यात्रा या डाक टिकट, को छोड़कर शेष सभी वस्तु/मद (Item) जो बीस रूपये या उससे अधिक राशि की हो, का भाउचर संलग्न किया जाना है।
2. भुगतान की गई वैसी सभी राशि, जिनके लिए प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं की गयी हो, का विस्तृत विवरण, भुगतान की तिथि के साथ, अंकित किया जाना है।
3. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रपत्र -30 में शपथपत्र के साथ निर्वाचन व्यय प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

प्रपत्र - 30

[देखें नियम - 119]

शपथ-पत्र

मैं, ...

पिता/पति ..... उम्र ..... वर्ष,

जो .....जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....

के सदस्य पद/ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी ..... के मुखिया/सरपंच/पंच पद का अभ्यर्थी रहा हूँ,

एतद् द्वारा निष्ठा एवं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित निर्वाचन व्यय का लेखा मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही एवं सत्य है।

दिनांक -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(2पं/वि.6-01/2006)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार राकेश
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/
पार्षद योजना तथा कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)